## खण्डपीठ क्रमांक-22

09-12-17

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

आवेदिका गुडडीबाई सहित अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव उप0

अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण आज राजीनामा हेतु नियत है।

आज दिनांक को आवेदिका द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु डॉकेट प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। आवेदिका की पहचान अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव द्वारा की गई हैं।

आवेदिका द्वारा व्यक्त किया गया कि उसका अनावेदक के साथ राजीनामा हो गया है अतः वह उक्त आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहती है चूंकि आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा होने के कारण आवेदिका भरण पोषण के आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः प्रस्तुत प्रकरण राजीनामा होने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क्.1-

क.2−

सहीं / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0 22 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0